18 JAN 2019

दिनांक 07.01.2019 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अंतर्गत खरीफ विपणन मौसम 2018–19 में धान अधिप्राप्ति की समीक्षा हेतु सम्पन्न विडियों कॉन्फ्रेंसिंग बैठक की कार्यवाही :–

सर्वप्रथम विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था अन्तर्गत खरीफ विपणन मौसम 2018–19 में धान अधिप्राप्ति की समीक्षा हेतु विडियों कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया एवं अवगत कराया गया कि विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान खरीफ विपणन मौसम में धान अधिप्राप्ति का कार्य अपेक्षाकृत प्रभावी रूप से नही होने तथा धान अधिप्राप्ति की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होने के कारण प्रत्येक सोमवार को विडियों कॉन्फ्रेंसिंग बैठक आयोजित कर धान अधिप्राप्ति की समीक्षा करने हेतु निर्णय लिया गया है । इस आशय से भी अवगत कराया गया है कि यदि परिस्थिति वश निर्धारित दिन (सोमवार) को विडियों कॉन्फ्रेंसिंग बैठक का आयोजन अर्पिहार्य कारणों से आयोजित नहीं की जा सकी तो इसकी सूचना पृथक रूप से दी जाएगी । साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक सप्ताहिक विडियों कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं संबंधित जिला केन्द्रीय कॉपरेटिव बैंक के प्रबंधक निदेशक निश्चित रूप से विडियों कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में भाग लेगें ।

उपर्युक्त आशय की सूचना उपस्थित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने के पश्चात् इस आशय से भी अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2018–19 के लिए घोषित धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार भाव से अधिक है इसलिए वर्तमान खरीफ विपणन मौसम में धान अधिप्राप्ति केन्द्रो पर किसानों द्वारा धान की अधिप्राप्ति हेतु अपने उत्पादन का धान निश्चित रूप से लायी जाने की प्रवल सम्भावना है । ऐसी स्थिति में जिला स्तर से धान क्रय केन्द्रों पर धान की अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित माप–दण्ड का प्रभावी अनुश्रवण करने की आवश्यकता है, ताकि राज्य का धान निकटवर्ती राज्यों मे जाने पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके एवं निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप धान की अधिप्राप्ति किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से रोका जा सकें । उपस्थित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि धान अधिप्राप्ति हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/कर्मीयों से लगातार समन्वय स्थापित कर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप धान की अधिप्राप्ति कार्य में तेजी लायी जाय।

अधिप्राप्ति क्रय केन्द्रों के साथ मिलरों की टैंगींग की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कतिपय जिलों में क्रय केन्द्रों के साथ मिलरों की टैंगींग अपेक्षाकृत नहीं की गयी है, साथ ही उन जिलों में धान अधिप्राप्ति का कार्य भी संतोषप्रद नहीं है । निदेश दिया गया कि धान अधिप्राप्ति क्रय केन्द्रों के साथ जिला टॉस्क फोर्स की बैठक से चयनित मिलरों की शतप्रतिशत टैंगींग संबंधित पैक्स के साथ दो दिनों के अन्दर सुनिश्चित की जाय । अन्यथा की स्थिति में आगामी विडियों कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में इसकी गंभीरतापूर्वक से समीक्षा की जाएगी ।

समीक्षा के क्रम में परिलक्षित हुआ कि कतिपय जिलों यथा अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, नवादा एवं वैशाली जिलों में न तो धान की अधिप्राप्ति लक्ष्य के अनुरूप की जा रही है, न ही अधिप्राप्ति कार्य में शीघ्रता लाने हेतु

अपेक्षाकृत कार्रवाई की जा रही है, जो एक गंभीर विषय है । सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जिला स्तर पर अधिप्राप्ति कार्य हेतु प्राधिकृत/प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/कर्मीयों के कार्यो की लगातार समीक्षा की जाय एवं क्रय केन्द्रों/मिलों का भ्रमण कर अपेक्षाकृत कार्रवाई करते हुए धान अधिप्राप्ति में तेजी लाई जाय ।

धान अधिप्राप्ति के उपरान्त समतुल्य राशि किसानों को भुगतान ससमय किये जाने की समीक्षा के क्रम में अवगत कराया गया कि पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किसानों को राशि का भुगतान किया जाना है, परन्तु कतिपय जिलों में पी0एफ0एम0एस0 योजनान्तर्गत EAT Module का अनुपालन अबतक संभव नहीं होने फलस्वरूप किसी जिलें में किसानों का भुगतान संभव होना एवं किसी जिलें में भुगतान नही होना किसानों के हित के प्रतिकूल होगा जिसका तत्क्षण समाधान आवश्यक है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कतिपय जिलों में जानबूझ कर समस्याएँ उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर विराम लगाने की आवश्यकता है। निदेश दिया गया कि आगामी समीक्षा के दौरान उन जिलों को चिन्हित कर उन जिलों में पदस्थापित संबंधित कर्मियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी ।

उपस्थित सभी जिला सहकारिता पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि किसी भी प्रकार की तकनीकि त्रुटि होने के स्थिति में अविलम्ब मुख्यालय से संपर्क स्थापित कर तकनीकि कमियों को दूर की जाय । राज्य स्तर पर भी प्रतिवेदित तकनिकी त्रुटियों को संकलित कर दूर करने की कार्रवाई की जाएगी एवं जो तकनीकि समस्याएँ केन्द्र स्तर पर दूर किया जाना है उन कमियों को दूर करने हेतु राज्य सरकार के पदाधिकारी केन्द्र सरकार से सम्पर्क स्थापित कर समस्या का निराकरण अविलम्ब करायेंगे ।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग द्वारा अनुमोदित ।

16/11/19

(पंकज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक–प्र010/वि0अधि0–01/2019 327 खाद्य/पटना/दिनांक 16/01/19

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, खाद्य भवन, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/निबंधक, सहयोग समितियॉ, बिहार, पटना/मा0 मंत्री के आप्त सचिव एवं सचिव कोषांग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/1/19

सरकार के अपर सचिव ।